

आवेदन संख्या 75/2025

अन्तर्गत धारा 212

मज लिष्ट वगैर तन लिष्ट

8.01.2026

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं।

आज अदालत समय में रुक-रुक कर तीन बार आवाजे दिलवाये जाने के बावजूद प्रार्थी एवं उनके वकील में से किसी के उपस्थित नहीं होने पर उक्त आवेदन अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 2 व आदेश 9 नियम 3 के तहत अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।



